

उप संचालक द्वारा स्थल निरीक्षण के लिए निर्धारित जांच सूची

म.प्र. जल निगम मर्यादित (म.प्र. शासन का उपक्रम) द्वारा प्रस्तावित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के परिक्षेत्र कोर/बफर सीमा में मुख्य मार्ग के किनारे (राईट आफ वे अंतर्गत) पीने के पानी की पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.641 हे. वनभूमि प्रस्तावित स्थल का मेरे द्वारा दिनांक 14/03/2021 को निरीक्षण किया गया। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	विशेष	उप संचालक द्वारा निरीक्षण की रिपोर्ट
1	सीमा हेक्टेयर	0.641 हे.
2	वन भूमि के स्थान (अक्षांश, देशांस) डायवर्सन के लिए प्रस्ताव रखा।	Range- Manpur N23°48'11.8" E81°08'32.8" N23°48'23.3" E81°08'41.6" N23°48'37.3" E81°08'48.9" N23°49'14.4" E81°09'08.5" N23°49'20.4" E81°09'12.3" N23°49'36.1" E81°09'23.2" N23°49'42.2" E81°09'28.5" N23°49'52.0" E81°09'42.8" N23°50'11.9" E81°10'36.7" N23°50'23.3" E81°10'47.8" N23°50'31.6" E81°11'23.2" N23°50'30.8" E81°11'57.7" N23°50'28.5" E81°12'08.7" N23°50'24.0" E81°12'23.5" N23°50'20.5" E81°12'46.2" N23°49'20.4" E81°09'12.3" N23°49'36.8" E81°09'00.0" N23°49'46.8" E81°08'51.8" N23°50'22.1" E81°06'50.1" N23°50'57.4" E81°06'16.6" N23°49'26.5" E81°07'12.1" N23°49'20.1" E81°06'52.8" N23°48'12.3" E81°07'31.8" N23°48'41.4" E81°06'42.0" Range- Panpatha Core N23°54'57.52" E81°06'16.68" N23°51'45.16" E81°05'35.42" Range- Panpatha Buffer N23°57'57.03" E81°10'27.19" N23°53'42.03" E81°11'32.02"
3	वन भूमि (संरक्षित वन/आरक्षित वन/राजस्व वन भूमि या किसी भी अन्य वन भूमि) की कानूनी स्थिति।	प्रस्तावित आरक्षित वन- 0.070 संरक्षित वन- 0.571 योग- 0.641
4	अस्थायी केर्न्स आदि के साथ क्षेत्र का सीमांकन।	आवेदक संस्था एवं वन विभाग के कर्मचारियों के साथ संयुक्त सर्वे सीमांकन किया गया है।
5	अतिक्रमण का कोई भी लक्षण	नहीं है।
6	किसी भी गतिविधि को पहले से ही उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि या उससे सटे गैर वन भूमि के भीतर प्रस्तावित परियोजना के भाग के रूप में उपयोगकर्ता एजेंसी	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि में कोई अवैध कार्य नहीं किया गया है।

	द्वारा कर लिया गया हो तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत दिशा निर्देशों का उल्लंघन के मामले में उपयोगकर्ता एजेंसी के खिलाफ की गई कार्यवाही का विवरण।	
7	वनस्पति की स्थिति। साइट की गुणवत्ता/प्रजाति संरचना आदि।	बिगड़े वनों में सुधार कार्य वृत्त (आर.डी.एफ. वर्किंग सर्किल) के अंतर्गत शामिल वन क्षेत्र है साइट की स्थल गुणवत्ता की श्रेणी III है। क्षेत्र में महुआ, साल, लेडिया, बांस, नीलगिरी प्रजाति के वृक्ष स्थित हैं।
8	वन्य जीवन की दृष्टि से क्षेत्र का महत्व। वन्यजीव की स्थिति (घनत्व और महत्वपूर्ण प्रजातियों, पक्षी जीवन सरीसृप, तितलियों और अन्य अनुसूचित वन्यप्राणी किसी भी लुप्त प्राय वन्यजीवों की बहुतायत) की स्थिति इस क्षेत्र में वन्य जीवन की नवीनतम गणना।	प्रस्तावित क्षेत्र में तेंदुआ, सियार, जंगली सुअर, चिंकारा, भेंडिया, चीतल का विचरण पाया जाता है।
9	वनस्पति/पशुवर्ग या क्षेत्र में किसी भी अन्य अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र की स्थानिकता।	कोई अद्वितीय पारिस्थितिकीय तंत्र मौजूद नहीं है।
10	वर्तमान भूमि उपयोग। इस क्षेत्र में कार्य करने में कामयाब रहे हैं तो कार्यआयोजना के नुस्खे यदि नहीं, क्यों?	वर्तमान में प्रचलित कार्य आयोजना में यह वन क्षेत्र बिगड़े वनों में सुधार कार्य कार्य वृत्त (आर.डी.एफ. वर्किंग सर्किल) के रूप में शामिल है, जिसमें वानिकी कार्य किये गये हैं।
11	ऐतिहासिक या धार्मिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का महत्व।	प्रस्तावित क्षेत्र ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व का नहीं है।
12	इस जमीन पर किसी भी व्यक्तियों/परिवार का निर्भरता	प्रस्तावित भूमि पर किसी भी परिवारों की निर्भरता नहीं है।
13	व्यक्तियों के विस्थापन का प्रस्ताव	आवश्यक नहीं है।
14	वहां किसी भी पुनर्वास और पुर्नस्थापन की योजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए है? वहां विस्थापित करने के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों के बीच किसी भी असहमति आवाज है?	लागू नहीं है।
15	प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण वन भूमि या गैर-वन भूमि पर है। वृक्षारोपण के लिए क्षेत्र की उपयुक्तता का स्थान। अगर बिगड़ी वन भूमि में है तो वर्तमान कार्यआयोजना अनुसार विवरण गैर-वन भूमि है तो नजदीक वन क्षेत्र से दूरी। मामला क्षेत्र में पेंच की संख्या से अधिक किलोमीटर दूर करने के लिए किया जाना चाहिए।	प्रस्तावित कार्य मानपुर से बल्हौड़, देवरी से गांगीताल मार्ग के राइट ऑफ वे में होने से प्रतिपूरक वनीकरण आवश्यक नहीं है।
16	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नजदीक के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दूरी 10 कि.मी. से अधिक की दूरी पर होना चाहिए।	प्रस्तावित क्षेत्र बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया के कोर/बफर क्षेत्र से गुजरने वाले मानपुर से बल्हौड़, देवरी से गांगीताल मार्ग के "राइट ऑफ वे" में है।

17	इस क्षेत्र में जनजातीय की निर्भरता। चाहे आदिवासी के अधिकार के लिए इस क्षेत्र में मान्यता दी गई है।	अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्यता नहीं दी गई है।
18	परियोजना के पास के इलाके में रहने वाले लोगों सहित परियोजना की उपयोगिता।	परियोजना की स्वीकृति से आस-पास के ग्रामवासियों को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध होगा।
19	नवीकरण के मामले में पूर्व स्वीकृत के आदेश में निर्धारित की गई समस्त शर्तों का पालन किया गया है या नहीं।	प्रकरण नवीनीकरण का नहीं है।
20	गैर-साइट विशिष्ट परियोजनाओं के मामले में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा जांच विकल्प।	यह साइट स्पेसिफिक परियोजना है।
21	वन भूमि गैर वानिकी उद्देश्य के न्यूनतम व्यपवर्तन के लिए अनुरोध किया है, उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा इसका प्रमाण पत्र	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा न्यूनतम वनभूमि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र दिया गया है।
22	वन भूमि जिसका व्यपवर्तन किया जा रहा है जिस उद्देश्य के लिये सुनिश्चित करते हुये पेड़ वृद्धि को बचाने की कोई गुंजाइश।	परियोजना क्षेत्र में पेड़ आदि प्रभावित नहीं हो रहे हैं।
23	महत्व के किसी भी अन्य मुद्दे।	निरंक।
24	परियोजना के अनुमोदन के लिए कारण के साथ डी.एफ.ओ. की विशिष्ट सिफारिशें।	परियोजना से आस-पास के ग्रामवासियों को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध होगा। उक्त परियोजना राष्ट्रीय विकास हित में है। वन भू संरक्षित क्षेत्र बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के परिक्षेत्र कोर/बफर सीमा से गुजरने वाले मार्ग के "राइट ऑफ वे" में निर्मित है। वनभूमि मांग न्यूनतम है जिसकी अनुशंसा की जाती है।

स्थान:- उमरिया

दिनांक:-

उप संचालक
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व
उमरिया (म.प्र.)

कार्यालय क्षेत्र संचालक, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया (म.प्र.)

-: प्रमाण पत्र :-

म.प्र. जल निगम मर्यादित (म.प्र. शासन का उपक्रम) द्वारा प्रस्तावित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के परिक्षेत्र कोर/बफर सीमा में मुख्य मार्ग के किनारे (राईट आफ वे अंतर्गत) पीने के पानी की पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.641 हे. वनभूमि की मांग न्यूनतम है, कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं होने से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है, भारत सरकार द्वारा भविष्य में शर्त अधिरोपित शर्त मान्य करने तथा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना में होने वाली व्यय राशि का भुगतान करने हेतु वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उप संचालक
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व
उमरिया (म.प्र.)

भाग - II

1	परियोजना के अनुमोदन के लिए कारण के साथ डी.एफ.ओ. की विशिष्ट सिफारिशें।	परियोजना से आस-पास के ग्रामवासियों को पीने के पानी की सुविधा मिल सकेगी। उक्त परियोजना राष्ट्रीय विकास हित में है। वन भू संरक्षित क्षेत्र बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व की कोर/बफर सीमा में मुख्य मार्ग के किनारे से गुजरने वाले मार्ग के "राइट ऑफ वे" में निर्मित है। वनभूमि मांग न्यूनतम है जिसकी अनुशंसा की जाती है।
---	---	---

स्थान:- उमरिया

दिनांक:-

उप संचालक
बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व
उमरिया (म.प्र.)